संख्या : 4172 /9-4-95-79 जी0/92

श्री आर0जी0भाटकर,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

निदेशक,
स्थानीय निकाय, उ0प्र0,
लखनऊ।

लखनऊ : दिनांक : 19 जनवरी, 1996

अनुभाग-4
समता समिति उ0प्र0 1989 स्थानीय निकाय की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के अनुसार प्रदेश के नगरीय स्थानीय निकायों में विभिन्न पदों पर नये वेतनमान की स्वीकृति।

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 1055 I/9-1-89-89 सा-89, दिनांक 14 1990 के आंशिक संशोधन में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न वर्गों रियों हेतु समता समिति 1989 की संस्तुतियों पर विचार करने के लिए गठित यत. समिति की संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में लिये गये निर्णयानुसार राज्यपाल उक्त शासनादेश दिनांक 14 फरवरी, 1990 के संलग्नक के शीर्षक "पालिका एवं राजस्व सेवा" के क्रम संख्या 1, 2, 3 तथा शीर्षक "पालिका इंजीनियरिंग ले विद्युत तथा मैकेनिकल सेवा" के क्र.सं. 10, 11क, ख, 12 एवं शीर्षक चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य सेवा" के क्रमांक 27 एवं शीर्षक "पालिका लेखा सेवा के क्रम संख्या-59 एवं शीर्षक "सिटी बोर्ड तथा नगर पालिका के क्रम संख्या-2, शीर्षक "नगर पालिका श्रेणी-2" के क्रम संख्या-1 तथा गर पालिका श्रेणी-3 के क्र.सं.1 के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित वेतनमानों के स. शासनादेश के संलग्नक के स्तम्भ-4 में अंकित वेतनमान तथा स्तम्भ-5 में कितया प्रतिस्थापित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि रू.2200-4000 के वेतनमान के ऐसे पदधारक जिन्होंने दिनांक 1 जनवरी, 1986 को अथवा विकल्प की तिथि की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली थी, का वेतन निर्धारण दि.1 जनवरी, अथवा विकल्प की तिथि को सीधे रू.3000-4500 के वैयक्तिक वेतनमान दिया दिनांक 13 फरवरी, 1990 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार किया

—2/

ऐसे पटवारक जो निर्धारित अर्हता की पूर्ति दिनांक 1 जनवरी, 1986 विकल्प की तिथि के बाद करते हैं, उनका वेतन निर्धारण उनके द्वारा नीचे के वेतनमान के स्तर से अगले स्तर पर निर्धारित किया जायेगा ।

ार की प्रक्रिया रु0 3000–4500 के पदों के विरुद्ध 20 प्रतिशत पदों पर 00–5000 के वैयक्तिक वेतनमान हेतु अर्ह पटवारकों के लिये भी अपनाई अर्ह अधिकारियों को समयमान वेतनमान की स्वीकृति के आदेश संबंधित वित्त-प्राधिकारी द्वारा जारी किये जायेंगे ।

उक्त शासनादेश दिनांक 14 फरवरी, 1990 को उक्त तिथि तक वित समझा जाये ।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या वे0आ0-2-697/दस-95, के 11-12-95 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

॥ आर0बी0भाष्कर ॥
सचिव,

॥1॥/9-4-95-79 ज0/92

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–
महालेखाकार, उ0प्र0इलाहाबाद ।
उ0प्र0 के समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारीगण ।
उ0प्र0 के समस्त नगर निगमों के मुख्य नगर अधिकारी ।
उ0प्र0 की समस्त नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों के अध्यक्ष ।
निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उ0प्र0इलाहाबाद ।
वित्त ॥ वेतन आयोग॥ अनुभाग-1/2॥तीन प्रतियां ॥
वित्त ॥ व्यय नियंत्रण॥ अनुभाग-6
वित्त ॥सामान्य॥अनुभाग-1/2
समस्त विकास सचिव शाखा के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,

॥मधुसूदन रायज़ादा ॥
संयुक्त सचिव